

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)

-:: आदेश ::-

क्रमांक 1892/दो-11-1/2021

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर, 2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ज्ञापन क. बी/5261/चार-3-1/65/(एकजाई) जबलपुर दिनांक 18.11.2024 के संलग्न प्राप्त सहायक ग्रेड-तीन के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित सूची अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतनमान ₹ 19500-62000 (लेवल-4) में पूर्णतः अस्थायी व स्थानापन्न रूप से आदेश में दी गई सेवा की सामान्य शर्तों के अध्याधीन कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है:-

स.क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पूर्ण पता	वर्ग	चयनित वर्ग
01	श्री मो. शाहरूख मनिहार पिता श्री मो. उवेश निवासी-म.न. 55, दीनदयाल वार्ड, खुरई जिला सागर (म.प्र.) पिन-470117 मो.नं.-7566578566 ई-मेल mohdshahrukmanihar@gmail.com	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग

// सेवा की सामान्य शर्तें //

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन भत्ते के समतुल्य राशि का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी तथा यदि आप सेवात्याग करना चाहें तो एक माह पूर्व लिखित सूचना अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन-भत्तों के समतुल्य राशि संबंधित शीर्ष में शासन के पक्ष में चालान द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जावेगी।
2. जिला मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त शासकीय सेवा योग्य होने का आरोग्यता प्रमाण पत्र 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त की जा सकेंगी तथा जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा अरोग्यता प्रमाण पत्र में अनफिट पाये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6(6) अनुसार दो से अधिक संतान न करने का पालन सुनिश्चित करेंगे, उक्त नियम का पालन न करने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क. एफ-9/ 3/2003/ नियम/चार, भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के नियम लागू होंगे।

5. प्रथम नियुक्ति के समय सेवा-पुस्तिका में अपने समस्त शैक्षणिक व अर्हकारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर उल्लेख कराना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हेतु किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेकर अथवा स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अलावा किसी अन्य नियोजन के लिए बिना पूर्व अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना आवेदन नहीं कर सकेंगे।
6. नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक एवं अर्हकारी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कराये जाने के दौरान उक्त दस्तावेज असत्य अथवा कूटरचित पाये जाने पर आपके विरुद्ध अनुशासनिक तथा अभियोजन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
7. इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध कोई दण्डित कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारण हेतु अथवा किसी थाने में अनुसंधान हेतु लंबित नहीं है। इसके अलावा किसी भी प्रकरण में दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया है। यह नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चरित्र सत्यापन कराए जाने पर सेवा के अयोग्य पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर अभियोजन के भागी होंगे।
8. शासकीय सेवक का सम्पूर्ण समय शासनाधीन है, जिनकी किसी भी समय सेवायें ली जा सकती हैं। इसके अलावा अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे और न ही सामान्यतः स्वीकृत अवकाश से अधिक उपभोग करेंगे।
9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016, संशोधित नियम 2019, के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों को पालन करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित अभ्यर्थीगण का तीन वर्ष तक अंतरमण्डलीय स्थानांतरण सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकीय आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानांतरण किया जा सकेगा।
11. अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3 /एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा के अध्याधीन की जा रही है। उक्त परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष न्यूनतम वेतन का 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टायपेण्ड का भुगतान किया जावेगा।
12. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 28564/2023 में पारित आदेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के पालन में

अभ्यर्थी की वरियता (वरिष्ठता) एवं नियुक्ति दिनांक इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1422/दो-11-3/2022-23 भोपाल दिनांक 04 सितम्बर, 2023 द्वारा आदेश के स.क्र. 11 पर नियुक्त श्री तुषार राठौर पिता श्री नरेन्द्र राठौर, अन्य पिछडा वर्ग के ठीक नीचे दिनांक 08.09.2023 से निर्धारित की जाती है।

13. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 28564/2023 में पारित आदेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 अनुसार वरिष्ठता/नियुक्ति दिनांक 08.09.2023 से इस आदेश के जारी होने के पश्चात श्री मो. शाहरुख मनिहार द्वारा सहायक ग्रेड-तीन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक के ठीक पूर्व दिनांक तक की अवधि के लिये श्री मो. शाहरुख मनिहार को कोई वेतन-भत्ते की पात्रता नहीं होगी। अर्थात "काम नहीं तो वेतन नहीं" का सिद्धान्त लागू होगा।
14. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

sd
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक 8525 /दो-11-1/2021 भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर, 2024
प्रतिलिपि:-

1. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल
2. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय/कम्प्यूटर अनुभाग एवं जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल
3. संबंधित अभ्यर्थी श्री मो. शाहरुख मनिहार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
4. लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थी के सहायक ग्रेड-तीन के पद पर पदभार ग्रहण करने पर उसकी वरियता/वरिष्ठता नियुक्ति आदेश शर्त कण्डिका 12 अनुसार वरियता सूची में जोड़े जाने की कार्यवाही करें।
5. समस्त सहायक लेखापाल/देयक लिपिक/सेवा पुस्तिका संधारण लिपिक/ओएम कार्यालय अनुभाग/सी.पी.एफ. पासबुक लिपिक जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, भोपाल की ओर ई-मेल से भेजने के लिये एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट पर दर्शित करने के लिये प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)